

राजीव गांधी स्वावलंबन रोज़गार योजना की मार्गदर्शिका



दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

निगम भवन, 5 वा तल, पुराना हिन्दू कॉलेज

कश्मीरी गेट, दिल्ली - ११०००६.

दूरभाष: 011-21320005

वेबसाइट: <http://dkvib.delhigovt.nic.in>

परिचय

दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामीण विकास को समर्पित एक स्वशासी निकाय है। यह 1 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों परिचय के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु निरंतर कार्य करता आया है। बोर्ड द्वारा राजीव गाँधी स्वावलम्बन रोज़गार योजना 2004-05 में दिल्ली सरकार के सौजन्य से आरम्भ की गई थी। इस योजना को आकर्षक एवं उपयोगी बनाने के लिए बोर्ड एवं दिल्ली सरकार द्वारा इसमें आकर्षक संशोधन किये गए हैं।

योजना का प्रारूप एवं पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:

१. पात्र आवेदक

अ. व्यक्तिगत

- (क) स्कूल /कॉलेज से पढ़ाई छोड़ चुके बेरोज़गार
- (ख) शिल्पकार
- (ग) व्यक्तिगत उधमि
- (घ) प्रशिक्षित व्यवसायी /तकनीशियन

ब. लघुउद्योग

दिल्ली मास्टर प्लान २०२१ के अंतर्गत अनुमन्य लघु उद्योग इकाइयाँ भी इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय सहायता हेतु पात्र होगी। बशर्ते मशीन , औजार , भूमि , फर्नीचर आदि के द्वारा किया गया निवेश , सरकार द्वारा लघु उद्योग के लिए निर्धारित निवेश, सीमा से अधिक न हो।

स व्यक्तिगत आवेदक के लिए निर्धारित आयु सीमा

न्यूनतम १८ वर्ष से अधिकतम ५० वर्ष तक

2

योजना का विस्तार

अ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध है :

- (क) लघु एवं कुटीर उद्योग
- (ख) व्यवसाय क्षेत्र , व्यापार,यातायात के संसाधन आदि
- (ग) सेवा क्षेत्र

ब **विशेष** : जिस आवेदक के किसी सरकारी अथवा सरकार के अधीन संचालित वित्तीय संस्थान से इसी योजना अथवा किसी मिलती -जुलती योजना के अंतर्गत ऋण लिया हो , और आवेदक की तिथि तक भुगतान बकाया हो अथवा जिसने सरकारी ऋण / अनुदान आदि का दुरुपयोग किया हो, वह इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पात्र न होगा।

3. परियोजना राशि

व्यक्तिगत उद्धमी / व्यवसायी / शिल्पकार / स्कूल / कॉलेज से पढ़ाई छोड़ चुके बेरोज़गार जो शेष निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करते हो , इस योजना के अंतर्गत 3,00,000 /-रूपये की सहायता के पात्र होंगे। इस शर्त के साथ की आवेदक को बोर्ड से अपेक्षित ऋण राशि का न्यूनतम 10 % अपनी और से निवेश करना होगा। कमज़ोर वर्गों के अभियार्थियों तथा अनुसूचित जाति , अनु जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला उद्धमी, भूतपूर्व सैनिक , शारीरिक विकलांग के प्रकरण में अपनी और से निवेश की जाने वाली राशि , बोर्ड से मांगी गई राशि का मात्र 5 % होगी।

4 अनुदान / छूट

योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रदत्त कुल राशि का 15 % अथवा 7500 /- जो भी कम हो, छूट और अनुदान के रूप में मान्य होंगे। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति /आवेदक सांझेदारी फर्म का विधिवत गठन कर, योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं, छूट/ अनुदान की सीमा प्रत्येक सांझेदार के हिस्से के 15 % या 7500 /- रुपये जो भी कम हो , के आधार पे तय की जाएगी यह दो वर्ष के उपरांत ऋण के सापेक्ष समायोजित कर दी जायेगी। ऋण राशि का समय पर सदुपयोग न करने अथवा दुरुपयोग पाए जाने पर प्रदत्त राशि की वसूली 18 % जुर्माना ब्याज सहित की जाएगी।

5 वसूली

- (अ) बोर्ड द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली अधिकतम 5 वर्षों में, बीस त्रैमासिक किश्तों में की जाएगी। मूलधन की पहली किस्त ऋण दिए जाने के 12 महीने पश्चात् डे होगी। मगर ब्याज की वसूली पहली तिमाही से ही शुरू हो जाएगी। ऋण की समयानुसार एवं सुनिश्चित वसूली हेतु ऋणी को देय किस्तों के सापेक्ष 20 पूर्वदिनांकित , हस्ताक्षरित चैक कार्यालय में जमा कराने होंगे।
- (ब) बोर्ड की किश्तों के सापेक्ष दिए गए चैको के भुगतान की जिम्मेदारी ऋणी की होगी। यदि ऋणी का चैक बिना भुगतान के बैंक से लौटाया जाता है तो, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कारवाही की जायेगी। साथ ही बकाया किश्त -राशि की वसूली 18 %सालाना जुर्माना ब्याज एवं बैंक चार्ज के साथ कि जाएगी।

6 ब्याज दर

- (क) योजना के अंतर्गत ब्याज की दर दिल्ली सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी। वर्तमान में यह 10% वार्षिक है।
- (ख) जुर्माना ब्याज दर -धनराशि का दुरुपयोग होने , समयानुसार सदुपयोग ना करने पर , ऋणी को समस्त बकाया राशि का 18% वार्षिक जुर्माना ब्याज सहित , एकमुश्त भुगतान करना होगा। ब्याज में किसी भी प्रकार की छूट अस्वीकार्य होगी।

7 धनराशि का सदुपयोग

ऋण राशि प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ऋणी उसका सदुपयोग कर, उसके प्रमाणपत्र बोर्ड के कार्यालय

में जमा करेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में, बोर्ड के प्रबंध निदेशक की अनुमति पर, इस अवधि में अधिकतम 3 महीने की छूट और दी जा सकती है। निर्धारित अवधि में उसके सदपयोग समन्वित दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रस्तुत न करने पर, यह माना जायेगा कि ऋणी ने धनराशि का दुरुपयोग /अनुपयोग किया है। इस स्थिति में समस्त राशि का 18% वार्षिक जुर्माना ब्याज सहित , एकमुश्त वसूली करने का अधिकार होगा।

8 जमानते / प्रतिभूतियाँ

आवेदक को प्रदत्त ऋण राशि के सापेक्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित जमानत-प्रतिभूतियों का विवरण निम्नवत है-

- (क) सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी स्वशासी निकाय में, दिल्ली में कार्यरत हो अथवा
- (ख) स्वीकृत ऋणराशि (अनुदान सहित) के 70 % के बराबर सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राष्ट्रीय बचतपत्र, फिक्स डिपोजिट, बैंक गारंटी आदि बंधक रखना ।

9 उद्योग / व्यवसाय हेतु मान्य क्षेत्र

राजीव गांधी स्वावलंबन रोज़गार योजना के अंतर्गत औद्योगिक /व्यवसायिक इकाईयाँ , दिल्ली के किसी भी मान्य क्षेत्र म स्थापित की जा सकती है। रिहायशी क्षेत्रों में केवल उन्ही उद्योगो/व्यवसायों को सहायता दी जाएगी जिन्हे दिल्ली मास्टर प्लान -2021 के अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किया गया है। रिहायशी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए आवेदक को दिल्ली सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी का अनापत्ति प्रमाणपत्र /क्षेत्रीय नगर निगम से पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि जैसा भी आवश्यक हो, देना होगा ।

10 प्रशिक्षण

योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है , जो किन्ही कारणवश स्कूल/कॉलेज आगे की पढ़ाई करने से वंचित रहे हैं। ऐसे बेरोज़गार युवको को उधमिता विकास एवं उन्हें तकनीकी दक्षता प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को तकनीकी दक्षता, खाताबही विपरण , लागत निर्धारण आदि की सामान्य जानकारी प्रदान करना है।

11 विपणन सहायता

योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त उधमी को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, सरकारी भंडार, दिल्ली व्यापार मेला आदि के माध्यम से विपणन सुविधाएं प्राप्त की जाएँगी ।

12 आवेदन प्रक्रिया

आवेदन निर्धारित प्रारूप में किये जा सकते हैं, जो कार्यालय में निशुल्क उपलब्ध है। आवेदन पत्र को बोर्ड की वेबसाइट www.dkvb.delhigovt.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदनपत्र दर्शाये

गए दस्तावेज़ सहित कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में जमा किये जा सकते हैं।

13 आवेदन के साथ सलंगन किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की सूची:-

फोटो सहित प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

1. मतदाता परिचयपत्र / वैध पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति
2. पासपोर्ट आकर की दो छायाचित्र
3. शैक्षिक प्रमाणपत्र
4. कार्यस्थल का विवरण
5. आवेदक के आवास स्थल का बिजली का बिल
6. दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिक / व्यवसायिक इकाई की स्थापना हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ सलंगन करने होंगे :-

(क) व्यवसायिक इकाई हेतु : क्षेत्रीय दिल्ली नगर निगम का पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पंजीकरण हेतु दाखिल प्रार्थना पत्र ,परिवर्तन शुल्क के भुगतान की रसीद सहित , की छायाप्रति ।

(ख) औद्योगिक इकाई हेतु : उद्योग विभाग दिल्ली सरकार गठित हाई पावर कमेटी का अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं लाइसेंस की छायाप्रति अथवा इन दस्तावेज़ हेतु क्षेत्रीय नगर निगम दिल्ली सरकार नगर निगम में दाखिल प्रार्थनापत्र एवं सलंगन दस्तावेज़ की छायाप्रति।

7. निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र
8. जमानती की सहमति पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़
9. परियोजना में अपनी ओर से लगाई जाने वाली धनराशि का प्रमाण पत्र।

14 प्रकरण का निपटान

आवेदनपत्रों का निपटान 'पहले आओ - पहले पाओ ' की नीति के अनुसार किया जायेगा।

15 जनसुविधा केंद्र

योजना से संबंधित अन्य जानकारी बोर्ड के सहायक विकास अधिकारी से प्रातः दस बजे से अपराह्न चार बजे तक प्राप्त की जा सकती है।